रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2007/आषाढ़ 6, 1929 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 87
No. 112] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2007/ASADHA 6, 1929 [N.C.T.D. No. 87

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर व स्था.) विभाग

आदेश

दिल्ली, 27 जून, 2007

सं. फा. 5(52)/वित्त (कर व स्था.)/2007-08/डीएसएफटीई/488.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना का.आ. 1726 सं. फा. 2/5/61-न्याय-II के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एम वी हैल्थकेयर सर्विसिस प्रा. लि. 15 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-110011 द्वारा जारी किये जाने वाले रुपये 79,00,00,000 (रुपये नवासी करोड़ केवल) मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 790 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,90,000 (रुपये सात लाख नब्बे हजार केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गर्ग, उप-सचिव

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 27th June, 2007

No. F. 5(52)/Fin. (T & E)/2007-08/dsfte/488.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, S.O. 1726 Notification No. F. 2/5/61-Judl. II, dated the 22nd July, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that M/s. MV Healthcare Services Private Limited, 15, Aurangzeb Road, New Delhi-110011 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,90,000 (Rupees Seven Lakh and Ninety Thousand only) on the value of preference

shares of Rs. 79,00,00,000 (Rupees Seventy Nine crore only) for share certificates with distinctive Nos. 001 to 790 to be issued by the said Company.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GARG, Dy. Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2007

सं. फा. 16(1)/श.वि./दि.ज. बो./2002-03/12018/1156-58.—पूर्व आदेश सं. फा. 16(1)/श.वि./दि.ज.बो./ 2002-03/24064 दिनांक 17-11-2006 को निरस्त करते हुए दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 3(1), 3(3)(ix) के साथ पठित, में निहित शक्तियों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल महोदय, श्री एक्स. के. महतो, भ. प. से. (ए.जी.एम.यू.-90) को तुरन्त प्रभाव से दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य (वित्त) के स्थान पर सदस्य (प्रशासन) नामांकित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2007

No. F. 16(1)/UD/DWB/2002-03/12018/1156-58.—In supersession of previous order No. F. 16(1)/UD/DWB/ 2002-03/24064 dated. 17-11-2006 in exercise of the powers conferred by Section 3(1) read with Section 3(3)(ix) of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Shri X. K. Mahto, IAS (AGMU : 90), as Member (Administration) instead of Member (Finance), Delhi Jal Board with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Addl. Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2007

फा. सं. 2/201/2002/डीआईएसएमएच/होम्यो./1137.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/78/68 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय में सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की भर्ती पद्धति के सम्बन्ध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**— (i) इन नियमों को सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, बशर्ते कि कुछ और अर्थ न हो तो

(क) **'आयोग'** से अभिप्राय संघ लोक सेवा आयोग से है।

(ख) **'नियंत्रण प्राधिकरण'** से अभिप्राय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार है।

(ग) **'विभागीय पदोन्नति समिति'** से अभिप्राय सेवा के समूह 'क' पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए अनुसूची IV में उल्लिखित समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति है।

(घ) **'कार्य पद'** से अभिप्राय अनुसूची II में उल्लिखित कोई भी स्थायी या अस्थायी पद से है।

(ङ) **'सरकार'** से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है।

(च) **'ग्रेड'** से अभिप्राय अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी ग्रेड से है।

(छ) **'अनुसूची'** से अभिप्राय इन नियमों की अनुसूची से है।

9/7

(ज) 'सेवा' से अभिप्राय सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की दिल्ली स्वास्थ्य सेवा से है ।

चूंकि नियम पहली बार बनाए जा रहे हैं इसलिए सेवा गठन से संबंधित नीचे दिए गए प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं ।

3. **सेवा का गठन.**—(1) एक सेवा गठन किया जाएगा जिसे सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) (समूह 'क') के दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के नाम से जाना जाएगा और इसमें नियम 7 और नियम 8 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे ।

(2) सेवा में शामिल सभी पद समूह 'क' पद होंगे ।

4. **सेवा का ढांचा.**—सेवा में शामिल सभी कार्य पदों को सामान्य केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और ग्रेड, वेतनमान, प्रैक्टिसबंदी भत्ता और उससे संबंधित अन्य मामलों का अनुसूची-I में उल्लेख किया जाएगा ।

5. **सेवा की अधिकृत संख्या.**—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को सेवा के विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की अधिकृत संख्या का अनुसूची-II में उल्लेख किया जाएगा ।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की अधिकृत स्थायी संख्या समय-समय पर सरकार द्वारा तय की जाएगी ।

(3) सरकार समय-समय पर जरूरत पड़ने पर विभिन्न ग्रेडों के कार्य पदों की संख्या में स्थायी बढ़ोतरी या कटौती कर सकती है ।

(4) सरकार आयोग की सलाह से अनुसूची-II में शामिल पदों के अलावा सेवा में कोई अन्य पद शामिल कर सकती है और निकाल सकती है ।

(5) सरकार आयोग की सलाह से उप-नियम (4) के तहत सेवा में शामिल पद के किसी अधिकारी को, जैसा उपयुक्त समझे, अस्थायी या स्थायी हैसियत से उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकती है और सदृश ग्रेड में उसकी नियमित सेवा को ध्यान में रखकर उसकी वरिष्ठता तय कर सकती है ।

(6) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कुल पदों के पांच प्रतिशत पदों को 'छुट्टी रिजर्व' के रूप में सेवा में शामिल किया जाएगा ।

(7) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (रु. 10,000–15,200) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (रु. 12,000–16,500) के ग्रेड में वरिष्ठ कार्य पदों का गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड का 15 प्रतिशत (शुरू से) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) (रु. 14,300–18,300) के पद में बदल जाएगा ।

विशेष : इस उप-नियम में वरिष्ठ कार्य पद का अर्थ है, सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पदों पर बैठे लोगों की संख्या ।

6. **सेवा के सदस्य.**—(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे,

(क) नियम 4 के उप-नियम (5) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति

(ख) नियम 6 के अंतर्गत कार्यपदों पर नियुक्त व्यक्ति और

(ग) नियम 7 के अंतर्गत कार्यपदों पर नियुक्त व्यक्ति

(2) उप-नियम (1) के उपबंध (ख) के अंतर्गत ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची-II में लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध (ख) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची-II में लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जाएगा ।

7. **सेवा का आरम्भिक गठन.**—(1) समान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), सहायक निदेशक (होम्योपैथी) और उप-निदेशक (होम्योपैथी) की दिल्ली स्वास्थ्य सेवाओं के तहत नियुक्त सभी अधिकारी इन नियमों के आरम्भ होने के समय और उससे पहले नियुक्त माने जाएंगे और वे अपने-अपने ग्रेड में सेवा के सदस्य होंगे ।

(2) इन नियमों के आरम्भ होने के पहले उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति के लिए जरूरी सेवा, स्थायीकरण और पेंशन के लिए महत्व दिया जाएगा ।

8. **सेवा की भावी निरंतरता.**—(1) अनुसूची II में उल्लिखित किसी भी ग्रेड में रिक्तियों को इन नियमों में दिए गए तरीके से भर जाएगा ।

(2) भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के लिए नीचे वाले तात्कालिक ग्रेड में न्यूनतम अर्हता सेवा सहित पदोन्नति के चयन का क्षेत्र अथवा अपने-अपने उप-ग्रेडों के पदों पर पदोन्नति का अनुसूची-III में उल्लेख किया जाएगा ।

(3) (i) विभागीय पदोन्नतियां संवर्ग के अधिकारियों के लिए ही होंगी ।

(ii) उच्च पदों पर विभागीय पदोन्नतियां, अनुसूची-IV के अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों से नीचे वाले तात्कालिक ग्रेड के अधिकारियों में से चयन के आधार पर की जाएगी ।

(4) यदि सेवा में किसी पद पर नियुक्त अधिकारी के नाम पर उच्चतर पद हेतु पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उसकी आवश्यक अर्हता/पात्रता सेवा एक वर्ष से ज्यादा कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि, यदि है, तो पूरी कर ली हो ।

(5) (i) किसी भी संवारत अधिकारी को गैर-चयन आधार (वरिष्ठता-व-उपयुक्तता) पर नियुक्त करते समय, सेवा को कायम रखने के लिए अधिकारियों का चयन आयोग के विचार-विमर्श से और जहां आवश्यक हो, वहां, अनुसूची-IV के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) सेवा के विभिन्न कार्य पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अन्य अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा का अनुसूची-V में उल्लेख किया जाएगा ।

विशेष : उपर्युक्त ग्रेडों पर प्रोन्नति (प्रवेश ग्रेडों के अलावा) रिक्तियों के साथ नहीं जुड़ी होंगी ।

(6) इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठ कार्य पदों का अर्थ है, जीडीएमओ उप-संवर्ग में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद धारण करने वाले व्यक्ति ।"

(7) कार्यात्मक प्रयोजन के लिए

(क) किसी भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को जब किसी औषधालय/अस्पताल या भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाएगा तो उसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या सहायक निदेशक, जैसा भी मामला हो, के तौर पर नियुक्त किया जाएगा ।

(ख) किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जब किसी औषधालय/अस्पताल या भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाएगा तो उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप-निदेशक, जैसा भी मामला हो, के तौर पर नियुक्त किया जाएगा ।

(ग) रु. 10,000-15,200 + प्रैक्टिसबंदी भत्ता के वेतनमान में वर्तमान सहायक निदेशक और रु. 12,000-16,500 + प्रैक्टिसबंदी भत्ता
के वेतनमान में, वर्तमान उप-निदेशक को क्रमशः रु 10,000-15200 + प्रैक्टिसबंदी भत्ता के वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और रु.
12,000-16,500 + प्रैक्टिसबंदी भत्ता के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में शामिल
माना जाएगा ।

इसी प्रकार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में शामिल सहायक निदेशक छह वर्ष की
नियमित सेवा पूरी करने पर रु. 12,000-16,500 के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के विचार योग्य माना जाएगा । इसी
प्रकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारियों में शामिल उप-निदेशक, ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी
होने पर रु. 14,300-18,300 के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) में नियुक्ति के विचार योग्य होगा ।

9. वरिष्ठता.–(1) नियम 6 के अंतर्गत सेवा के आरम्भिक गठन के समय ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, इन नियमों की आरम्भ तिथि से होगी ।

यदि किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तिथि को तय नहीं की गई थी तो इन नियमों से पहले वरिष्ठता निर्धारित करने वाले नियमों के आधार पर उसकी वरिष्ठता तय की जाएगी ।

(2) नियम 6 के तहत नियुक्त अधिकारियों के अलावा दूसरे पदों पर भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठता केन्द्र सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार तय की जाएगी ।

(3) सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठता नियम (4) के उपनियम (5) के अनुसार उनमें निहित मामले के अनुसार तय की जाएगी ।

(4) उक्त प्रावधानों से बाहर मामलों को आयोग के विचार विमर्श से सरकार द्वारा तय किया जाएगा ।

10. परिवीक्षा.–(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

उपबंध है कि नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है ।

आगे उपबंध है कि पिछली परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर परिवीक्षा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा और उक्त अवधि के अन्दर संबद्ध अधिकारी को कारण सहित लिखित में सूचना दी जाएगी ।

(2) परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि पूरी होने पर यदि आरंभिक ग्रेड में पहले स्थायी नहीं किया गया है तो उपयुक्त पाए जाने पर अधिकारियों को पद पर स्थायी किया जाए ।

(3) यदि परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान सरकार के विचार में कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार अधिकारी को पदमुक्त कर सकती है या सेवा में नियुक्ति से पहले के पद पर वापस भेज सकती है जैसी भी स्थिति हो ।

(4) परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान सरकार द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अनुदेशों को पूरा करें तथा ऐसी परीक्षा एवं जांच (हिन्दी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करें जैसा सरकार परिवीक्षा की सन्तोषजनक पूर्णता के लिए शर्त के रूप में आवश्यक समझे ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेश लागू होंगे ।

11. **सेवा पर नियुक्ति.**–सेवा की सभी नियुक्तियां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

12. **सेवा के दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें.–(1) सेवा में नियुक्त अधिकारी को दिल्ली में कहीं भी कार्य करना पड़ेगा ।**

(2) निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित.–

(i) सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परामर्श और प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी ।

(ii) ऐसे व्यक्ति अनुसूची-I में उल्लिखित दर पर प्रैक्टिसबंदी भत्ते के अधिकारी होंगे ।

(3) पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें :

(i) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवा के संबंधित वर्षों के लाभ सेवा के सदस्यों के लिए लागू होंगे ।

(ii) इन नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न किए गए मामलों के सम्बन्ध में सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें यथावश्यक परिवर्तन सहित होंगी तथा सेवा के बारे में सरकार द्वारा जारी विशेष आदेशों के अधीन होंगी और सामान्यतः केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों पर लागू भर्ती के समान होंगी ।

13. **अयोग्यता.–वह व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा :**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह का करार किया है जिसकी पति या पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह कर लिया हो ।

यदि सरकार संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति पर लागू स्वीय कानून के अंतर्गत तथा विवाह के दूसरे पक्ष को ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा किए जाने के दूसरे आधार हैं तो इस नियम से छूट दे सकती है ।

14. **छूट की शक्ति.**–यदि सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक व अनुकूल है तो सरकार लिखित में दर्ज कारणों द्वारा और आयोग के विचार-विमर्श से व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है ।

15. **बचाव खंड.**–इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य छूट प्रभावित नहीं होंगी ।

16. **व्याख्या.**–इन नियमों की व्याख्या के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है तो सरकार आयोग के परामर्श से उसका फैसला करेगी ।

17. **निरसन.**–अधिसूचना सं. फा. 53/13/94/एच एंड डब्ल्यू-II दिनांक 12 अप्रैल, 1999, सं. फा. 2(8)/82/एस. II दिनांक

15-7-1982 और सं. फा. 11/1/97-एच एंड एफ डब्ल्यू-II दिनांक 12 मई, 1999 द्वारा क्रमशः चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), सहायक निदेशक (होम्योपैथी) और उपनिदेशक (होम्योपैथी) के पद के अधिसूचित भर्ती नियम निरस्त किए जाते हैं।

अनुसूची-I

ग्रेड, वेतनमान और प्रैक्टिसबंदी भत्ता इत्यादि

सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में शामिल समूह 'क' पद

I. ग्रेड और वेतनमान

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान
(i)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड)	रु. 14,300-400-18,300 + प्रै.बं.भ.
(ii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	रु. 12,000-375-16,500 + प्रै.बं.भ.
(iii)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	रु. 10,000-325-15,200 + प्रै.बं.भ.
(iv)	चिकित्सा अधिकारी	रु. 8,000-275-13,500 + प्रै.बं.भ.

II. प्रैक्टिसबंदी भत्ता

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार स्वीकार्य।

III. वार्षिक भत्ता

चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) के पद पर नियुक्त चिकित्सा स्नातक जिसके पास केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता है जो जरूरी नहीं है, को हर महीने 500 रु. वार्षिक भत्ता दिया जाएगा और जिन अधिकारियों के पास मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता नहीं है, उन्हें हर महीने 300 रु. वार्षिक भत्ता दिया जाएगा।

अनुसूची-II

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) संवर्ग की अधिकृत संख्या

कार्य पद

क्रमांक	ग्रेड	पदों की संख्या
1	2	3
1.	**भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय**	
	उप निदेशक (होम्योपैथी)	1
	सहायक निदेशक (होम्योपैथी)	1
2.	**होम्योपैथी औषधालय**	
	सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	104
3.	**नेहरू होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल**	
	सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	2
4.	**डॉ. बी.आर. सुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र**	
	सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	2
	कुल	110

विशेष : पदों की संख्या कार्य अधिकता की वजह से बदल सकती है।

अनुसूची - III

अधिकारियों की भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिए चयन क्षेत्र उससे नीचे के ग्रेड में न्यूनतम अर्हता सेवा अथवा सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में समूह 'क' कार्य पदों पर पदोन्नति

क्रमांक	नाम	भर्ती पद्धति	चयन क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड)	पदोन्नति	मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसकी ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा **या** सम्मिलित समूह 'क' में 14 वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसमें से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के ग्रेड में कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा हो। **विशेष** : जीडीएमओ संवर्ग में शामिल वर्तमान उपनिदेशक (एच) जिनकी सहायक निदेशक के रु. 10,000-15,200+प्रै.वं.भ. के वेतनमान में और उपनिदेशक के रु. 12000-16500+प्रै.वं.भ. के वेतनमान में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा हो।
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	रिक्तियों से अलग वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) **अथवा** चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) (रु. 8000-13500+प्रै.वं.भ.) के ग्रेड में सम्मिलित नियमित सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर जिनमें से कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के ग्रेड में हो। **विशेष** : वर्तमान उपनिदेशक (होम्योपैथी) जिनकी रु. 12000-16500+प्रै.वं.भ. के वेतनमान में नियमित नियुक्ति की गई हो, को आरंभिक गठन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर जीडीएमओ में शामिल किया जाएगा।
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	रिक्तियों से अलग वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) **और** रु. 10,000-15,200+प्रै.वं.भ. के स्तर पर नियुक्त वर्तमान सहायक निदेशक को जीडीएमओ संवर्ग में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के तौर पर शामिल किया जाएगा।
4.	चिकित्सा अधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता और अनुभव के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर।	अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा आदि के लिए अनुसूची V देखिए।

विशेष :

पदोन्नति 'गैर चयन' आधार पर की जाएगी।

विभागीय पदोन्नतियां उसी उप-संवर्ग के अधिकारियों के लिए ही होंगी।

अनुसूची - IV

सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में समूह 'क' पदों पर पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति

क. विभागीय पदोन्नति समिति

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड)

(क) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष

(ख) सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबद्ध —सदस्य

(ग) संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का पदेन सचिव न हो। —सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(क) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष

(ख) सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबद्ध —सदस्य

(ग) संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का पदेन सचिव न हो। —सदस्य

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

(क) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार —अध्यक्ष

(ख) सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबद्ध —सदस्य

(ग) संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का पदेन सचिव न हो। —सदस्य

ख. स्थायीकरण

चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)

(क) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष

(ख) सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबद्ध —सदस्य

(ग) संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का पदेन सचिव न हो। —सदस्य

टीप 1 : मनोनीत अधिकारी सामान्यतः न्यूनतम उस स्तर से एक स्तर ऊपर होंगे जिसके लिए व्यक्तियों पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाता है।

टीप 2 : आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति में जहां आयोग विभागीय पदोन्नति समिति या विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष के साथ सहयोजित है उस स्थिति में समिति की कार्यवाहियां अमान्य नहीं होंगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य बैठक में उपस्थित हुए हों।

टीप 3 : आयोग अधिकारियों के स्थायीकरण के मामलों पर विचार करते समय सहयोजित नहीं होगा। उस मामले में अन्य सदस्य समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेंगे तथा उनमें वरिष्ठ व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करेगा।

94

अनुसूची - V

सामान्य कार्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के समूह 'क' कार्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शिक्षा और अन्य अर्हता अनुभव और आयु सीमा

क्रमांक	पद का नाम	आयु	आवश्यक शैक्षिक व अन्य योग्यताएं
1.	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) (रु. 8000-275-13500+ प्रै.वे.भ.)	35 वर्ष से अधिक न हो। **विशेष-1:** केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष की छूट। **विशेष-2:** भारत में आयु सीमा निर्धारित करने की जरूरी तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मनीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा पांगी उपमंडल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम तिथि तिथि नहीं होगी।	**अनिवार्य** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 के 59) के अंतर्गत समकक्ष मान्यताप्राप्त सांविधिक राज्य बोर्ड/परिषद से होम्योपैथी की डिग्री (ii) होम्योपैथी के राज्य रजिस्टर या केंद्रीय रजिस्टर में पंजीयन। **विशेष :** अन्य विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है।
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) एन एफ एस जी	लागू नहीं	लागू नहीं

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से एवं उनके नाम पर,

एन. बालाचन्द्रन, विशेष सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2007

F. No. 2/201/2002/DISMH/Homoeo/1137.—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68 - DH(S), dated 24-9-68, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules in the schedule annexed hereto regarding the method of recruitment for General Duty Medical Officer (Homeopathy) in the Directorate of ISM & Homeopathy, Govt. of NCT of Delhi.

1. **Short Title and Commencement.**— (i) These rules may be called Delhi Health Services Rules of General Duty Medical Officer (Homeopathy).

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires.—
   (a) "Commission" means the Union Public Service Commission.
   (b) "Controlling Authority" means the, Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi.
   (c) "Departmental Promotion Committee" means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group" A" posts of the service.

2922 DG/07-3

(d) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II.

(e) "Government" means Government of NCT of Delhi.

(f) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-I.

(g) "Schedule" means a Schedule to these rules.

(h) "Service" means the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy).

Since the Rules are being constituted for the first time the following provision pertaining to Constitution of the Service may be incorporated.

3. **Constitution of Service.**—(1) There shall be constituted a Service known as Delhi Health Service of General Duty Medical Officers (Homoeopathy) (Group 'A') consisting of persons, appointed under Rule 7 and Rule 8.

(2) All the posts included in the Service shall be Group 'A' posts.

4. **Composition of the Service.**—All duty posts, included in the Service shall be classified as General Central Civil Service Group "A" Gazetted, non-ministerial and the grades, scales of pay, non-practicing allowance and other matters connected therewith shal' be as specified in Schedule-I.

5. **Authorized Strength of the Service.**—1. The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-II.

2. After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may from time to time be determined by the Government.

3. The Government may make temporary addition to, or reduction in the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.

4. The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

5. The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

6. Five per cent of the total number of posts of the Senior Medical Officers and Chief Medical Officers shall be included in the Service as "leave reserve".

7. Non-Functional Selection Grade 15% of Senior Duty Posts (starting from) in the grade of Senior Medical Officer (Rs. 10,000—15,200) and Chief Medical Officer (Rs. 12,000—16500) shall be converted to the post of Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) (Rs. 14,300—18,300).

Note: Senior Duty posts for the purpose of this sub rule means the number of persons holding the posts of Senior Medical Officer and Chief Medical Officer in General Duty Medical Officer (Homoeopathy).

6. **Members of the Service.**—(1) The following persons shall be members of the Service, namely

(a) Persons appointed under sub-rule (5) of Rule 4

(b) Persons appointed to duty posts under Rule 6, and

(c) Persons appointed to duty posts under rule 7

(2) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.

(3) A person appointed under clause (c) of Sub- rule (1) shall, be the Member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule- II from the date of such appointment.

7. **Initial Constitution of the Service.**—(1) All the officers appointed under the Delhi Health Services of General Duty Medical Officer (Homoeopathy), Assistant Director (Homoeopathy) and Deputy Director (Homoeopathy) on or before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.

C/3

(2) The regular continuous service of officers referred to in Sub-rule (i) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

8. Future Maintenance of Service.—(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment or promotion to the posts in the respective sub-cadres shall be as specified in Schedule-III.

(3) (i) The Departmental Promotions shall be confined to officers of the cadres.

(ii) The Departmental Promotions to higher posts shall be made on the basis of selection from amongst the officers of the Service in the immediate lower grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as at Schedule-IV.

(4) If any officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have completed their probation period, if prescribed.

(5) (i) Except while appointing a serving officer on non-selection basis (seniority-cum-fitness), the selection of officers for maintenance of the service shall be made in consultation with the Commission, and wherever necessary, on the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.

(ii) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment of various duty posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

Note: The promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above shall be without linkage to vacancies.

(6) Senior Duty posts for this purpose means the number of persons holding the posts of Senior Medical Officer and Chief Medical Officer in the GDMO subcadre.

(7) For functional purposes

(a) A Senior Medical Officer when posted in a dispensary/Hospital or in the Directorate of ISM & H shall be designated as Senior Medical Officer or as Assistant Director as the case shall be.

(b) A Chief Medical Officer when posted in a Dispensary/Hospital or in the Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Chief Medical Officer, or as Deputy Director as the case shall be.

(c) The existing Assistant Director in the scale of Rs. 10,000—15,200 + NPA and Deputy Director in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500 + NPA, shall be deemed to have been included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers in the scale of Rs. 10,000—15,200 + NPA and Chief Medical Officer in the scale of pay of Rs.12,000—16,500 + NPA respectively. The Assistant Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers shall be eligible to be considered for appointment as Chief Medical Officers in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500 + NPA on completion of six years of regular service as Assistant Director. The Deputy Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Chief Medical Officer shall be eligible to be considered for appointment in the grade of Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300 + NPA on completion of four years regular service in the grade".

9. Seniority.—(1) The seniority of members of the service appointed to a grade at the time of initial constitution of the service under Rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules.

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of officers recruited to posts other than those appointed under Rule 6 shall be determined in accordance with the orders issued by the Central Government in the matter from time to time.

(3) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (5) of Rule 4 shall be fixed in the matter provided therein.

(4) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. **Probation.**—(1) Every officer appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the probation or any extension thereof, officers shall if considered fit, may be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade.

(3) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

11. **Appointment to the Service.**— All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

12. **Liability for service and other conditions of service.**—(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in Delhi.

(2) Private Practice prohibited :

(i) Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

(ii) Such p· sons shall be entitled to a Non-practicing allowance at the rate specified in Schedule I.

(3) Pension and other conditions of service:

(i) The benefit of added years of service as admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 shall be applicable to the members of the Service.

(ii) The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.

13. **Disqualification.**—No person, shall be eligible for appointment to the Service :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

14. **Powers to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be re·rded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

92

15. **Saving Clause.**—"Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Schedule Tribes, other backward class, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard".

16. **Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these rules arises, the Government shall decide it in consultation with the Commission.

17. **Repeal.**—The recruitment rules for the post of Medical Officer (Homoeopathy), Assistant Director (Homoeopathy) and Deputy Director (Homoeopathy) notified by notification No. F. 53/13/94/H&FW- II dated 12th April 1999, F. No. 2(8)/82/S.II dated 15-7-1982 and F. 11-1-97- H & FW-II dated 12th May 1999 respectively are repealed.

SCHEDULE I

Grade, Scales of pay and Non-Practicing Allowance etc.

Group "A" posts included in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy).

I. Grade and Scales of Pay

S.No.	Grade	Scale of Pay
(i)	Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade)	Rs. 14,300-400-18,300 + NPA
(ii)	Chief Medical Officer	Rs. 12,000-375-16,500 + NPA
(iii)	Senior Medical Officer	Rs. 10,000-325-15,200 + NPA
(iv)	Medical Officer	Rs. 8,000-275-13,500 + NPA

II. Non- Practicing Allowance

Admissible as per orders issued from time to time by the Central Government.

III. Annual Allowance

A medical graduate appointed to the post of Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer including Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) for which possession of a recognized post-graduate qualification is not essential shall be given over an Annual Allowance of Rs. 500 per month recognized under Central Council of Homoeopathy Act, 1973 and an annual allowance of Rs. 300 per month to those officer who are not possessing recognized Post Graduate qualification.

SCHEDULE II

Authorized strength of Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy) cadre.

DUTY POSTS

S.No	Designation	No. of Posts
1	2	3
1	Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy	
	Deputy Director (Homoeopathy)	1
	Assistant Director (Homoeopathy)	1
2	Homoeopathic Dispensaries	
	General Duty Medical Officer (Homoeopathy)	104
3	Nehru Homoeopathic Medical College and Hospital	
	General Duty Medical Officer (Homoeopathy)	2
4	Dr. B. R. Sur Homoeopathic Medical College, Hospital and Research Centre	
	General Duty Medical Officer (Homoeopathy)	2
	Total	110

Note: The number of posts will be subject to variation depending on workload.

2922 DG/07-4

SCHEDULE III

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or promotion of officers to Group "A" duty posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy)

S. No.	Name	Method of Recruitment	Field of Selection and the Minimum qualifying service for promotion
1.	Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade)	Promotion	Chief Medical Officer with 4 years of regular service in the grade or on completion of 14 years of combined Group "A" regular service, out of which at least two years regular service should be in the grade of Chief Medical Officer (Homoeopathy). **Note :** The existing Deputy Director (H) included in GDMO cadre with 10 years of Combined regular service as Assistant Director in the scale of pay Rs. 10,000-15,200+NPA and Deputy Director in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500+NPA.
2.	Chief Medical Officer	100% by Promotion on seniority cum fitness basis without linkage to the vacancies	Senior Medical Officer (Homoeopathy) with 6 years of regular service in the grade or on completion of 10 years of combined regular service in the grade Medical Officer (Homoeopathy) (Rs. 8,000-13,500+NPA) and Senior Medical Officer (Homoeopathy) (Rs. 10,000—15,200+NPA out of which at-least two years regular service should be in the grade of Senior Medical Officer (Homoeopathy). **Note :** The existing Deputy Director (Homoeopathy) who has been regularly appointed in the scale of Rs. 12,000-16,500+NPA shall be included in the GDMO cadre at CMO level in the initial constitution.
3.	Senior Medical Officer	100% by Promotion subject to seniority cum fitness without linkage to the vacancies	Medical Officer (Homoeopathy) with 4 years of regular service in the grade. The existing Assistant Director recruited at the level of Rs. 10,000-15,200+NPA shall be included in GDMO cadre at Senior Medical Officer.
4.	Medical Officer	By direct recruit. on the basis of a written examination to be conducted by the Union Public Service to be followed by an interview through Union Public Service Commission in accordance with age limit and educational qualifications and experience as may be prescribed in consultation with the Union Public Service Commission.	See Schedule-V for qualifications, experience and age-limits etc.

Note : Promotions shall be on "Non-Selection" basis.

The departmental promotions shall be confinel to officers of the same sub-cadres.

SCHEDULE IV

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy)

A. Departmental Promotion Committee

Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade)

(a) Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi — Chairman

(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi — Member

(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi — Member

Chief Medical Officer

(a) Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi — Chairman

(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi — Member

(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi — Member

Senior Medical Officer

91

(a) Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi — Chairman
(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi — Member
(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi — Member

B. Confirmation

Medical Officer (Homoeopathy)

(a) Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi — Chairman
(b) Secretary concerned in GNCT of Delhi — Member
(c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi — Member.

Note 1 :—The nominee officer should be normally at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.

Note 2 :—The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission, where the Commission is associated in the DPC or the Chairman of the DPC, shall not invaliadate then proceedings of the Committee, if more than half the members of the Committee had attended the meetings.

Note 3 :—The Commission shall not be associated while considering cases of confirmation of officers. In that case, other members will constitute the Group "A" Departmental Promotion Committee and the senior most among them will preside over the meeting.

SCHEDULE V

Minimum education and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Group "A" duty posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy)

Sl. No.	Name of the Post	Age	Educational and other Qualification required
1	2	3	4
1.	Medical Officer (Homoeopathy) (Rs. 8000-275-13500 + NPA)	Not exceeding 35 years. **Note 1:** Relaxable for Government Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	**Essential.** (i) Degree in Homoeopathy of a recognized University or Statutory State Board/Council of equivalent recognizedunder the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) (ii) Enrolment on State Register or Central Register of Homoeopathy. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.
2.	Senior Medical Officer (Homoeopathy))	Not Applicable	Not Applicable
3.	Chief Medical Officer (Homoeopathy))	Not Applicable	Not Applicable
4.	Chief Medical Officer (Homoeopathy)) NFSG	Not Applicable	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor of Delhi,
N. BALACHANDRAN, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.